कार्यालयः— जिला शिक्षा अधीक्षक, सिमडेगा

सूचना

सरकार के सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, सरकार राँची के पत्रांक 1530 दिनांक 03.07.2015 के निदेशानुसार , झारखण्ड अधिविद् परिषद् द्वारा कक्षा 06 से 08 के लिये आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्ण आवेदकों से गैर योजना अन्तर्गत स्वीकृत इण्टर प्रशिक्षित शिक्षक के रिक्त पदों पर कार्यालय के विज्ञप्ति संख्या–03/2015 के द्वारा विहित प्रपत्र में पोस्ट/निबंधित डाक के माध्यम से आवदेन पत्र आमंत्रित किये गये थे।

उक्त विज्ञप्ति के आलोक में निर्धारित अवधि तक कक्षा 06 से 08 के लिए कुल 4223 आवेदन पत्र कार्यालय को प्राप्त हुए थे। प्रथम, द्वितीय,तृतीय,चतुर्थ,पंचम एवं षष्ठम काउंसिलिंग के उपरांत शेष रिक्त पदों हेतु सरकार के सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय), झारखण्ड के पत्रांक 2641 दिनांक 16.11.2015 में निहित निदेशों के अंतर्गत सप्तम् काउंसेलिंग हेतु मेधा सूची तैयार करते हुए अभ्यर्थियों के अवलोकन हेतु जिला के आधिकारिक वेबसाईट www.simdega.nic.in पर संधारित की जा रही है। कुछ कोटि में योग्य अभ्यर्थियों के उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में उनके लिए चिन्हित रिक्तियों को रिक्त रखा गया है। कृपया गैर पारा पदों के विरूद्ध चयनित कार्यरत पारा शिक्षक काउंसेलिंग में भाग नहीं लेंगे।

मेधा सूची के अभ्यर्थियों के लिए काउंसेलिंग मात्र यह निर्धारित एवं मिलान करने के लिए किया जाना है कि उनके आवेदन के साथ संलग्न छाया प्रति अभिलेख का मूल अभिलेख, विशेषकर मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से वांछित शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता का प्रमाण पत्र, शैक्षणिक/आवासीय/आरक्षण कोटि एवं अन्य का प्रमाण पत्र, आवेदक के पास वास्तविक रूप से उपलब्ध है। अतएव काउंसेलिंग हेतु बुलावा का अर्थ नियुक्ति हेतु बुलावा नहीं है अथवा काउंसेलिंग में सफल पाए जाने का अर्थ उनकी नियुक्ति की संपुष्टि नहीं है। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पारा एवं गैर पारा दोनों कोटि में चयन हेतु अपना आवेदन समर्पित किया है, के मामले में जिला शिक्षा स्थापना समिति, सिमडेगा के निर्णय के आलोक में उनका दावा सिर्फ पारा कोटि में ही स्वीकार किया गया है। यह नियुक्ति अथवा नियुक्ति की संपुष्टि का एकल अंतिम आधार नहीं है एवं वर्त्तमान अथवा भविष्य में जाँच में कोई भी गलत तथ्य पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की दावेदारी/नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जाएगी एवं विशेष परिस्थिति में संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्ध वैधानिक कारवाई भी की जा सकेगी।

काउंसेलिंग हेतु मेधा सूची में अंकित अभ्यर्थियों का काउंसेलिंग की तिथि निम्नवत् निर्धारित की गई है।

काउंसेलिंग की तिथिएवं समय	स्थान	प्रतिभागी का विवरण
14-12-2015 (प्रातः 10.30 बजे से संध्या 5. 00 बजे तक)	एम0डी0एम0 कोषांग (बैंक ऑफ इंडिया के सामने), समाहरणालय भवन, 'सी' ब्लॉक, ग्राउण्ड फ्लोर, खुँटीटोली, सिमडेगा।	कक्षा 06 से 08 के सभी कोटि के चयनित अभ्यर्थी